

संख्या : 1097 / आठ-1-23-11 बजट / 2018 टीसी

प्रेषक,

अरुण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2023

विषय: सम्पत्तियों के अन्तरण पर विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में धनराशि रू० 300.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्तमान समय तक उक्त मद में प्राप्तियों का विवरण/धनराशि का मांग पत्र एवं पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है) शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Arun Kumar
(अरुण कुमार)

अनु सचिव।